

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1357]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 8, 2019/चैत्र 18, 1941

No. 1357]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 8, 2019/CHAITRA 18, 1941

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2019

का.आ. 1536(अ).—भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1216(अ), तारीख 8 मार्च, 2019 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 8 मार्च, 2019 को प्रकाशित की गई थी, के पृष्ठ 1 पर क्रम संख्या 14 में "राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण, इंदौर खंडपीठ" के स्थान पर "राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, इंदौर खंडपीठ" और क्रम संख्या 15 में "राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण, अमरावती खंडपीठ" के स्थान पर "राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, अमरावती खंडपीठ" पढ़ा जाए।

[फा. सं. ए.45011/44/2018-प्रशा. IV] ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

2059 GI/2019

ALOK Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.04.09 (9:43:04 +05'30'